43

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
वाराणसी क्षेत्र, लो0नि0वि0,
वाराणसी

पत्रांक : 5890 वा0क्षे0/1078वा0क्षे0यात/03 दिनांक : 27 / 5/2014

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

विषय इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लुम्बिनी दुद्धी मार्ग (रा0मा0 संख्या-5ए) के किमी0-355 पर स्थित आराजी नम्बर-495 ग्राम-बघौड़ा, तहसील-मडिहान, जिला मीरजापुर पर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित करने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

-:-:-:-

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र के पत्रांक 394/1सी दिनांक 11.03.2014 तथा अधीक्षण अभियन्ता, सोनभद्र वृत्त, लो0नि0वि0, सोनभद्र के पत्रांक 872/38काम-सोन0वृत्त/2013-14 दिनांक 17.4.2014 द्वारा प्रस्तुत सूचना/संस्तुति के आधार पर उक्त विषयक मार्ग पर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित करने से सम्बन्धित वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है :-

07/7/14

1. प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल आउट लेट का निर्माण आई.आर.सी. कोड संख्या-12, 2009 एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के परिपत्र सं0-रा0मा0-33023/19/99-डी.औ.तृतीय दिनांक 31.8.2000 में दिए गए निर्देशों एवं चेकलिस्ट की शर्तो के अनुसार किया जायेगा।
2. प्रस्तावित स्थल के दोनों ओर 300 मीटर तक कोई रोड क्रासिंग नहीं होनी चाहिये।
3. आई.आर.सी.-12, 2009 के अनुसार मार्ग पर 300 मी0 की दूरी तक कोई अन्य रिटेल आउटलेट स्थापित नही होना चाहिये।
4. प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर होगा तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाय। प्रस्तावित निर्माण में बफर स्ट्रिप मार्ग की मध्य रेखा से 22.86 मीटर छोड़कर होनी चाहिए। लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।
5. प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट के प्रवेश एवं निकास पर सड़क पर यातायात की विजिबिलिटी होनी चाहिये, इसमें कोई अवरोध न हों। अन्य कोई आवश्यक बिन्दु जो स्थलीय परिस्थितियों तथा यातायात की सुरक्षा के लिये आवश्यक हो, प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट के वास्तविक निर्माण के पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाय।
6. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट का लाइसेन्स डीड संबंधित अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 एवं पार्टी द्वारा एक्जीक्यूट करा लिया जाय।
8. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाय। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

E:\drive e\DEEPA\P.W.D\Ratan Singh\NOC Petrollium.doc

ATTESTED
09.02.15

9. प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट पर बफर स्ट्रिप पर ऐसा कोई साईन बोर्ड या होर्डिंग न लगाया जाय, जिसमें भूमि तल से 3.00 मीटर का क्लीयरेन्स न हों।
10. प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्गो पर निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईड खन्ती में 1.00 मीटर चौड़ाई का आर0सी0सी0 ड्रेन बनाकर उसके ऊपर स्टील पाईप के कैटिल कैचर बना दिये जाये, ताकि पानी सुविधापूर्वक रोड साईड ड्रेन से होकर प्राकृतिक नाली/नाले में बह सके।
11. प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग की ढ़ाल रिटेल आउटलेट की ओर न्यूनतम 2 प्रतिशत होगा तथा पुलिया आई.आर.सी. एस.पी.-13, 1983 के अनुसार निर्मित की जायेगी। रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग का रख-रखाव कम्पनी द्वारा स्वयं के व्यय पर वहन किया जाएगा, परन्तु इसका स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा।
12. प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट के पेप्ड एरिया का लेविल सड़क के पेन्टेड सतह के मध्य बिन्दु के लेबिल से कम से कम 0.150 मी0 नीचे रखा जायेगा।
13. टर्निंग कर्व रेडियस 13.00 मीटर रखा जाय एवं रेडियस ऑफ नान टर्निंग कर्व 1.50 मीटर से 3. 00 मीटर के बीच रखा जाय।
14. प्रस्तावित निर्माण कार्य एक वर्ष के अन्दर न होने पर एक वर्ष के बाद पुनः अनुमति लेनी पड़ेगी।
15. मानचित्र पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा चस्पा किये गये टिप्पणी के बिन्दु-1 से 9 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
16. जब भी मार्ग के चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो चौड़ीकरण हेतु भूमि उपलब्ध करानी होगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर निर्माण हटाना होगा।
17. मार्ग पर किसी प्रकार का स्पीड ब्रेकर न बनाया जाय, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो।
18. पेट्रोलियम उत्पाद के अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के अधिनियमों एवं अर्हताओं की जानकारी कर जान-माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न किए जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा और इसके लिए विभाग के विरूद्ध किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा।

संलग्नक- मानचित्र

27/5
(आर0वी0के0 राकेश)
मुख्य अभियन्ता
वाराणसी क्षेत्र, लो0नि0वि0,
वाराणसी।

1. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, सोनभद्र वृत्त, लो0नि0वि0, सोनभद्र को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
वाराणसी क्षेत्र, लो0नि0वि0,
वाराणसी।

NOTARY
Mukesh Kumar Srivastava

09.02.15

मानचित्र पर निम्न शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है–

1. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प लुम्बिनी–दुद्धी राज्य मार्ग संख्या–5 के कि0मी0 355 पर स्थित अराजी नं0–495 ग्राम–बघौड़ा, तहसील–मड़िहान, जिला–मीरजापुर, उ0प्र0 पर दायें तरफ स्थित है।
2. लोक निर्माण विभाग की सीमा मानचित्र में लाल रंग से दर्शायी गयी है।
3. सड़क का पानी सुचारू रूप से यथावत् बहने हेतु उचित व्यवस्था की जाय तथा अनुमन्य ढ़ाल सड़क की पटरी की ओर उलटा न बनाया जाय।
4. पानी निकासी हेतु 1.00मी0 स्पान की आर0सी0सी0 कलवर्ट का निर्माण अवश्य कराया जाय, ताकि पानी की निकासी बाधित न हो।
5. पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट के क्षेत्र का पानी किसी भी दशा में मार्ग पर न आये, इसके लिये मार्ग के विपरित दिशा में समुचित स्लोप रखा जाय।
6. आउटलेट के अगल–बगल अतिक्रमण नहीं होने दिया जायेगा।
7. विज्ञापन पटट् व होर्डिंग, चहारदीवारी आदि सड़क की सीमा के अन्दर न बनायी जाय। यदि होर्डिंग लगाना आवश्यक हो तो इसका निर्माण इस प्रकार किया जाय ताकि यातायात किसी भी दशा में प्रभावित न हो सके।
8. स्वीकृत नक्शे के अतिरिक्त अन्य निर्माण अवैध माने जायेंगे एवं तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. लो0नि0वि0 की सर्कुलर के अनुसार राज्य मार्ग/प्रमुख जिला मार्ग/अन्य जिला मार्ग के लेपित सतह के मध्य रेखा से ~~75~~ 110 फीट के अन्दर कोई भी स्थायी निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता है। अतः मार्ग के लेपित सतह के मध्य रेखा से ~~22.86~~ 33.56 मीटर (~~75~~ 110 फीट) के अन्दर कोई भी पक्का (स्थायी) निर्माण कार्य न कराया जाय।

अतः उपरोक्त शर्तो के अधीन प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल ले–आउट निर्माण की संस्तुति की जाती है।

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
सोनभद्र

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
सोनभद्र

अधीक्षण अभियन्ता
सोनभद्र वृत्त लो० नि० वि०
सोनभद्र

ATTESTED
09.02.15